04.03.2021

प्रार्थी द्वारा जरिए अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी. पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन कर मूल को प्रत्याहृत कर नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति गई है। वादी का वाद नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनु प्रदान कर खरिज किया जा चुका है। मूल वाद खारिज होन इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सी.पी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर नवीन प्रा पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत करने की अनु प्रदान कर हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. को स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से होकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद संख्या 113/20 बअंनवान मांगीलाल बनाम सरस्वती रहे।

(उम्मेद सिंह रतनू)